



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012020-215766
CG-DL-E-28012020-215766

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2020/माघ 8, 1941

No. 357]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2020/MAGHA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

का.आ. 389(अ).—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ मैसर्स इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुरुग्राम (पैन: AAAT10389Q) नामक संगठन को निर्धारण वर्ष 2019-2020 और इससे आगे की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'रिसर्च एसोसिएशन' की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः:-

(i) अनुमोदित संगठन का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना होगा;

(ii) अनुमोदित संगठन स्वयं अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यकलाप करेगा;

(iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान, के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग लेखा बहियां रखेगा, अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाएगा, ऐसी खाता बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा-परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(v) अनुमोदित संगठन धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को निम्नलिखित को समाहित करते हुए विवरणी प्रस्तुत करेगा-

- पूर्व वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर विस्तृत नोट;
- वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं (जर्नल) में प्रकाशित अनुसंधान कार्यों का सारांश;
- वर्ष के दौरान, किसी पेटेंट या अन्य समान अधिकार के लिए प्रयुक्त या पंजीकृत;
- आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा-उल्लिखित **अलग लेखा बहियां** रखने में असफल रहता है; अथवा

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा-उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा-उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण अथवा पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (v) में उल्लिखित विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(घ) अपने अनुसंधान कार्यकलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्यकलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा

(ङ.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा उनका पालन नहीं करता है।

[अधिसूचना सं. 07/2020/फा. सं. 203/02/2019-आईटीए-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव